न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 65/2022 G.C.M.S. No. 2022/191 दर्ज दिनांक : 27.06.2022

अपीलार्थिगण:

1. सोहनलाल दत्तक पुत्र मोहनलालजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. वर्षा पत्नि अरूणजी, जाति बोहरा, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
3. तरूणा पत्नि अरूणजी, जाति जानी ब्राह्मण, निवासी भाटून, तहसील बाली व जिला पाली।
4. काना पुत्र भूराजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
5. गणेशराम पुत्र चतराजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
6. गीता पुत्री रामाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
7. जेठा पुत्री खीमाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
8. जेठाराम पुत्र चतराजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
9. जशोदाबाई पत्नि पुनारामजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
10. जीवाराम पुत्र चतराजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
11. जेठीदेवी पत्नि देवाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
12. अजीतकुमार पुत्र देवाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
13. चेला पुत्र देवाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
14. नारायणलाल पुत्र चतराजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
15. जमना पत्नि प्रभूरामजी (परबूडा), जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
16. प्रकाश पुत्र प्रभूरामजी (परबूडा), जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
17. प्रभुराम पुत्र रामाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
18. पीरा पुत्र भुराजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
19. पोनी पुत्री रामाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

20. फाउ पत्नि चमनाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
21. भेरूराम पुत्र चमनाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
22. मांगीलाल पुत्र कसाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
23. लुम्बा पुत्र विरदाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
24. मृत लुबा पुत्र मनरूपजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली के कायम मुकाम–
    1. मांगीलाल पुत्र लुंबाजी
    2. किशोरकुमार पुत्र लुंबाजी
    3. लीला पुत्री लुंबाजी
    4. विमला पुत्री लुंबाजी
    5. तीजो पत्नि लुंबाजी, जातिगण ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
25. मोरकी पत्नि वेनाजी, जाति देवासी, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
26. मृत वेनाराम पुत्र चतराजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली के कायम मुकाम–
    1. उमादेवी पत्नि वेनारामजी
    2. श्रवणकुमार पुत्र वेनारामजी
    3. विमलकुमार पुत्र वेनारामजी
    4. डिम्पल पुत्री वेनारामजी जातिगण ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चंपालाल पुत्र घीसाजी, जाति माली, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देसूरी व जिला पाली।
3. खेतू पुत्री चमनाजी
4. गलबी पुत्री भेराजी
5. मंजूला पुत्री देवाजी
6. हुलासी पुत्री देवाजी
7. कमला पुत्री देवाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
8. मुकेश पुत्र परबूड़ा (प्रभूरामजी)
9. बबीता पुत्री परबूड़ा (प्रभूरामजी) जाति ब्राह्मण, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
10. फुटरमल पुत्र पुनारामजी
11. भीकीबाई पत्नि चमनाजी
12. मथरा पुत्री रामाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

13. मांगीलाल पुत्र पुनाजी
14. मोनिका पुत्री चमनाजी
15. रणछोडलाल पुत्र चमनाजी
16. रमीला पुत्री चमनाजी, जाति ब्राह्मण, निवासी गांथी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
17. भंवरी पुत्री वेनाजी
18. लीला पुत्री वेनाजी
19. बगदी पुत्री वेनाजी
20. कमली पुत्री वेनाजी, जातिगण देवासी, निवासीगण डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।
21. गणपतलाल पुत्र हजारीरामजी
22. सोहनलाल पुत्र हजारीरामजी
23. नारायणलाल पुत्र हजारीरामजी
24. सुगणो बाई पत्नि हजारीरामजी
25. रतनो पुत्री हजारीरामजी
26. गीता पुत्री हजारीरामजी
27. मीरा पुत्री हजारीरामजी, जातिगण ब्राह्मण, निवासीगण डायलाना खुर्द, तहसील देसूरी व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 11/2020 बअनवान चंपालाल बनाम सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.04.2022

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री दीपाराम परमार, श्री रामलाल भाटी, श्री रवि राठौड़, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांकः 20.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 11/2020 बअनवान चंपालाल बनाम सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट एवं शेष रेस्पोंडेण्ट के विरूद्ध धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का आवेदन पेश किया कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की डायलाना खुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 378/693 में आने–जाने हेतु मुख्य मार्ग से अपने कुएं तक खसरा नम्बर 377 व 376 के बीच में पड़त जमीन से पिछले 40 वर्षों से रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं और मौके पर आने–जाने की पगडण्डी बनी हुई है, अन्य कोई रास्ता आने–जाने हेतु नहीं है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 परिवार सहित उक्त कृषि भूमि पर ही निवास कर रहा है।

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त रास्ते को दिनांक 10.11.2020 को अप्रार्थी जेठाराम और उसके पुत्र ने खसरा नम्बर 377 को अवरूद्ध कर दिया। उक्त बंद किया गया रास्ता संलग्न नक्शा में ए.बी.सी. डी. मार्क का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है, जो रास्ता 15 फीट चौड़ा था, जिसे कांटों की बाड़ व खाई खोदकर बंद कर दिया है। प्रार्थी मुआवजा अदा करने हेतु तैयार है। रेस्पोंडेंट द्वारा चाहे गए अनुतोष पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। उपरोक्त प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अगर रास्ता बंद किया गया है तो खुलवाने हेतु धारा 251–ए के तहत कोई प्रावधान नहीं हैं, न ही इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार है, इस सम्बन्ध में समस्त क्षेत्राधिकार केवल तहसीलदार महोदय को है। प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट संख्या एक के खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, इसलिए नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है। खसरा नम्बर 377 में से होकर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने से पहले और प्रकरण प्रस्तुत होने से पहले अप्रार्थी संख्या 13, 14, 16, 32 व 35 की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध आवेदन पेश किया था, इस सम्बन्ध में गलत प्रावधान आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत मृतक के वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया, जो अवैध है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट की ओर से प्राथमिक आपत्ति पेश की गई थी, लेकिन उसको विधि के विपरीत जाकर खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जांच करवाये जाने हेतु तहसीलदार देसूरी से जांच रिपोर्ट तलब की थी, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा मौके की जांच नहीं कर उपरोक्त मौके की जांच पटवारी हल्का से करवाई जाकर तहसीलदार देसूरी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थीं। उक्त मौका फर्द एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 10.09.2020 पटवारी द्वारा तहसीलदार महोदय को प्रेषित की गई, जिसे मूल ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसको आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि पटवारी हल्का को मौका जांच किये जाने एवं इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाये जाने बाबत् विधि के तहत् कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त जांच रिपोर्ट आर.आई. एवं उससे उच्चतर अधिकारी द्वारा ही की जा सकती हैं, ऐसी स्थिति में पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय किसी भी रूप से कायम रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त मौका जांच रिपोर्ट प्रथमतः तो पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है, जो पढ़े जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा मान. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.10.2020 अनुसार जांच रिपोर्ट तैयार किया जाना और प्रेषित किया जाना आज्ञापक है। जांच रिपोर्ट तैयार किये जाने से पूर्व अपीलाण्ट्स एवं अन्य खातेदार रेस्पोंडेण्ट को न तो कोई नोटिस दिया गया, न

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। बिना सूचना के एकपक्षीय जांच रिपोर्ट प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या एक से मिलावट कर तैयार कर ली और उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके साथ ही दौराने प्रकरण भी अनेक अप्रार्थीगण का देहांत हो गया था, लेकिन अंदर अवधि आवेदन पेश नहीं किये गये, फिर भी उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया, जो अवैध है। अप्रार्थीगण की तामिल हेतु विधिवत रूप से बिना नोटिस न्यायालय के प्रोसेस के जारी किये ही सीधे ही सामाचार पत्रो में प्रकाशन करवाकर उसके आधार पर अधिकांशतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 10.03.2021 को कर दी, जो अवैध है, क्योंकि सर्वप्रथम न्यायालय के माध्यम से नोटिस प्रेषित किये जाना आज्ञापक है। न्यायालय के माध्यम से नोटिस प्रेषित किये जाने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा तामिल से गुरेज किये जाने की अवस्था में पंजीबद्ध डाक से नोटिस भेजा जाता है और वह नोटिस भी जानबूझकर तामिल करने से गुरेज करता है तभी सामाचार पत्र के माध्यम से तामिल करवाई जा सकती है। उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में उक्त संपूर्ण प्रक्रिया का अभाव रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में दौराने बहस अपीलाण्ट्स की ओर से इस सम्बन्ध में आपत्ति की गई कि पटवारी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट करने का प्रावधान नहीं है और इस सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय 2016 (1) आरआरटी पेज 1281 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया था, जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अवलोकन किया, न ही इस सम्बन्ध में फाईडिंग दी। रेस्पोंडेण्ट संख्या एक के खातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 378 एवं 378/693 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्थित है, जिसके सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नम्बर 248 एवं 248/1 थें। उपरोक्त खसरा नम्बर के चिपता ही रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था और उससे चिपता खसरा नम्बर 235, 235/1 अन्य खसरान की भूमि उक्त रेस्पोंडेण्ट के पूर्वजों की सेटलमेन्ट पूर्व खातेदारी की स्थित थी, जिसे सेटलमेन्ट के दौरान गलत रूप से इन्द्राज करवाकर रेस्पोंडेण्ट संख्या एक ने गत खसरा नम्बर 235 व 235/1 के वर्तमान खसरा नम्बर 383 में से अपना नाम हटा दिया और गलत खसरा नम्बर 235, 235/1 एवं खसरा नम्बर 248 के बीच में जो रास्ता राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में दर्ज था, उसे जानबूझकर सेटलमेन्ट अधिकारियो से मिलावट कर हटवा दिया, लेकिन सेटलमेन्ट पूर्व से आज दिन तक लगातार उसी रास्ते का उपयोग कर रहे है और उसी रास्ते से मुख्य रास्ते पर आ जा रहे है। सेटलमेन्ट बाद में खसरा नम्बर 383 के उपर राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 431 के रूप में रास्ता दर्ज है, जो रास्ता आगे मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 432 में मिलता है। इसी रास्ते से कदिम से रेस्पोंडेण्ट संख्या एक अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 378 एवं 378/693 में लगातार आ जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेण्ट संख्या एक को आत्यंतिक रास्ते की आवश्यकता नहीं हैं और सुविधा के लिए नये रास्ते की मांग अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 377 में नहीं की जा सकती है, न ही अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जा सकता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है एवं साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को साक्ष्य, सबुत सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया, जिसके कारण से अपीलाण्ट उपरोक्त सेटलमेन्ट पूर्व के दस्तावेज पेश नहीं कर सका है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत जाकर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध ग्राम डायलाना खुर्द तहसील देसूरी में स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 378/693 तक आवागमन के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2022 द्वारा स्वीकार कर खसरा संख्या 377 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पटवारी कानूनन सक्षम नहीं हैं। ऐसी रिपोर्ट पढ़ने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी रेस्पोंडेंट को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होकर सुविधा के लिए मांग की गई हैं। अतः अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है।
3. पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का डायलाना कलां द्वारा दिनांक 10.09.2020 को तैयार एवं तहसीलदार देसूरी को प्रेषित जांच रिपोर्ट, प्रभावित आराजीयात के भूनक्शा आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में संबंधित हल्का पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार को प्रेषित की गई। जिसे तहसीलदार द्वारा विचारण न्यायालय को प्रेषित की गई। जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अंतर्गत रास्ते से संबंधित प्रकरणों में नियम 69 में यह आज्ञापक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रावधान है कि उपखंड अधिकारी द्वारा स्वयं या भू.अ.नि. से अनिम्न अधिकारी से प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण निर्णित किया जाएगा। लेकिन हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ विधिनुरूप पुननिर्णयन के लिए अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 11/2020 बअनवान चंपालाल बनाम सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है, कि वे दिनांक 25.07.2025 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner